न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश कुमार मूंड, आर.ए.एस.

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

करणसिंह पुत्र सोनसिंह सरपंच ग्राम पंचायत आलरा
जाति रावणा राजपूत सा. खानपुर

अपील बाबत :- अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट, विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 301 आदेश दिनांक 10.05.1975

मुकदमा नम्बर :-01/2019 निर्णय दिनांक :- 18/2/2020

निर्णय

1 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गोपालराम पुनियां ने यह अपील दिनांक 11.04.2019 को पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम खानपुर के खरारा नम्बर 640, 641, 654 कुल रकबा 3.50 हैक्टयर भूमि स्थित हैं जिसके गत खसरा नम्बर 442, 451, 44 कुल रकबा 21-12 बीघा थे। उक्त विवादित आराजीयत पूर्व में अपीलान्ट के पिता सोनिया के नाम दर्ज थी तथा अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के पिता के साथ साथ अन्य सह खातेदार गाधू व हरदेव फौत होने का नामान्तकरण भी दर्ज किया। जिसकी जांच भू- अभिलेक निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.05.1975 को की जाकर तत्कालीन सरपंच ने दिनांक 10.05.1975 को नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। तब से अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में नाम करणा पुत्र सोनिया लगातार दर्ज होता आया हैं वक्त नामान्तकरण अपीलार्थी की उम्र करीब 5 वर्ष होने से अपीलार्थी नाबालिक था इसलिये जिस नाम से बाल्यावस्था में परिवारजन पुकारते थे उसी अनुसार पटवारी हल्का ने अपीलार्थी का नाम करणा नामान्तकरण में दर्ज कर दिया गया। लेकिन अपीलार्थी का अन्य रेकर्ड जैसे आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व बैंक पास बुक इत्यादि में नाम करणसिह पुत्र सोनसिह दर्ज हैं लेकिन वर्तमान में राजस्व रिकर्ड में अपीलार्थी वास्तविक नाम दर्ज नहीं होने के कारण अपीलार्थी अपनी कृषि भूमि का विकास नहीं कर पा रहा हैं ना ही राजकीय अनुदान वगैरह प्राप्त कर पा रहा हैं लेकिन अपीलार्थी राज्य सरकार की सभी योजनाओं से गलत नाम का इन्द्राज होने से वंचित रह रहा है। अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का नागरिक हैं तथा केवल मात्र साक्षर हैं तथा उसे राजस्व रिकर्ड की पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी है। यह हैं कि वर्तमान में प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अपीलार्थी द्वारा अवेदन करने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकल प्राप्त करने व उसमें उसके नाम का गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर पटवारी हल्का से दुरूस्त करने का निवेदन करने पर उनके द्वारा इन्कार किया है।

18/2/2020

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

अपीलार्थी धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश कर अपील को मयाद में शुमार की जाकर नामान्तकरण संख्या 301 दिनांक 10.05.1975 पारित आदेश में अपीलार्थी का सही नाम करणसिंह पुत्र सोनसिंह जाति दरोगा निवासी खानपुर दर्ज किया जावे का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 13.08.2019 को जवाब पेश कर बताया हैं कि करणसिंह पुत्र सोनसिंह जाति दरोगा निवासी खानपुर के दस्तावेज व पडौसी गवहान व मोतबिरान से पता किया तो मालूम हुआ कि करणसिह के पिता का नाम दर्ज करते समय करणसिंह नाबालिग था जिस समय परिवार में बडे बुडे जिस नाम से पुकारते थे उसी अनुसार पटवारी ने नाम दर्ज कर दिया था जबकि करणा पुत्र सोनाराम के स्थान पर करणसिंह पुत्र सोनसिंह कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर अपीलान्ट के अधिवक्ता की वहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा वहस पर मनन किया गया।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौराने वहस जाहिर किया हैं कि अपीलान्ट का सही नाम करणसिंह पुत्र सोनसिह जाति दरोगा हैं राजस्व रेकर्ड को छोड़ कर अन्य सभी दस्तावेजो में नाम करणसिह पुत्र सोनसिंह दर्ज हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के बाद फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट की उम्र 5 वर्ष थी तथा अपीलान्ट को घर में प्यार से करणा बोलते थे जिसके कारण फौतगी नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम करणा पुत्र सोनिया दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट का सही नाम करणसिंह पुत्र सोनसिंह जाति दरोगा हैं जो दुरूस्त किया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में दस्तावेज अपना आधार कार्ड पेश किया हैं जिसमें अपीलान्ट का नाम करणसिह पुत्र सोनसिंह दर्ज हैं भामाशाह कार्ड पेश किया हैं जिसमें भी अपीलान्ट का नाम करणसिंह दर्ज हैं वैंक पासवुक पेश की हैं जिसमें भी अपीलान्ट का नाम करणसिंह पुत्र सोनसिंह दर्ज हैं रेस्पोडेन्ट ने भी जवाब पेश कर अपीलान्ट का सही नाम करणसिंह पुत्र सोनसिंह होना स्वीकार किया है। अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण संख्या 301 जो दिनांक 10.05.1975 के विरूद्ध दिनांक 11.04.2019 को लगभग 35 वर्ष बाद पेश की हैं जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास होने व फौतगी नामान्तकरण दर्ज करने के समय अपीलान्ट की उम्र करीब 5 वर्ष थी अपीलान्ट नावालिग था इस कारण उस समय परिवार के बडे बुढे लोग जिस नामा से पुकारते थे उसी के आधार पर नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम करणा दर्ज कर दिया गया। अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हैं केवल मात्र साक्षर हैं तथा

12/2/2020

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

उसके राजस्व रेकर्ड की पूर्व मे जानकारी नहीं हो सकी वह अपने हिस्से अनुसार लगातार काबिज चला आ रहा हैं अपीलान्ट ने जानबुझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं किया है। अपीलान्ट का विलम्ब सदभाविक हैं जिससे अपील अन्दर मयाद शुमार फरमाई जाकर विलम्ब कन्डोन फरमाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजा एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा जबाव पेश कर स्वीकार किया हैं कि अपीलान्ट का सही नाम करणसिह पुत्र सोनसिंह हैं बचपन में लाड प्यार से जिस नाम से अपीलान्ट को पुकारते थे वहीं नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय नामान्तकरण में दर्ज कर दिया नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट की उम्र करीब 5 वर्ष थी उसके बाद अपीलान्ट के सभी दस्तावेज पेश किये हैं उसमें अपीलान्ट का नाम करणसिंह पुत्र सोनसिंह सही दर्ज किया गया। मयाद अधिनियम की धारा 5 में अपील देरी से पेश करने का जो कारण दिया गया वह कारण भी उचित होना प्रतीत होता है। जिससे अपीलान्ट की अपील हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अपीलान्ट की अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र दिये गये कारण को उचित मानते हुए देरी को कन्डोन कर अपील अन्दर मयाद में शुमार की जाकर अपील स्वीकार करते हुऐ नामान्तकरण संख्या 301 को तहसीलदार परबतसर को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया जाता हैं अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुना जाकर दस्तावेजो का अवलोकन करते हुए नामान्तकरण 301 पर विधिसम्मत निर्णय पारित कियो जावे। तहरीर जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 18/2/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/2020

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner